रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-12052026-272460
CG-CG-E-12052026-272460

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2157] नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2026/वैशाख 16, 1948
No. 2157] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2026/VAISAKHA 16, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 5 मई, 2026

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ङ के अंतर्गत सूचना

का.आ. 2246(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), **दिनांक 12 फरवरी, 2026 को प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे) की अधिसूचना संख्या का.आ. 766(अ), दिनांक 12 फरवरी, 2026** द्वारा उक्त अधिसूचना के उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट को **महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले की तालुका गोंदिया** में विशेष रेल परियोजना अर्थात **"गोंदिया-बल्हारशाह (चांदाफोर्ट) दोहरीकरण (240 किलोमीटर)**" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और चूंकि, उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन **स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् हिंदी सांध्य दैनिक भवानी टाईम्स, दिनांक 17 मार्च 2026 एवं सांध्य दैनिक भंडारा दर्शन, दिनांक 17 मार्च 2026** को प्रकाशित किया गया था।

और चूंकि, सक्षम प्राधिकारी को आपत्तियां प्राप्त हुई थीं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन आपत्तियों की सुनवाई की गई और उक्त अधिनियम की धारा 20घ के अनुसरण में आदेश पारित कर दिये गए हैं। और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) के अनुसरण में, अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है।

अतः, अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि, इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहीत किया जाएगा।

अतः यह कि केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, समस्त भारों से मुक्त होकर, पूर्ण रूप से केंद्र सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत विशेष रेल परियोजना "गोंदिया-बल्हारशाह (चांदाफोर्ट) दोहरीकरण (240 किलोमीटर)" महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले की तालुका गोंदिया में अधिग्रहण किये जाने के लिए संरचना के सहित या उनके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण:-

जिले का नाम - गोंदिया **तालुका-गोंदिया** **राज्य- महाराष्ट्र**

क्र. सं.	गॉव का नाम	भूमि धारक का नाम	सर्वे नं.	7/12 समानुपात कुल क्षेत्र (हे.आर/चौ.मी.)	अधिग्रहण क्षेत्र (हे.आर/चौ.मी.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पिंडकेपार	रमेश भिवा दहीकर, शांताबाई रामश्वरम रहमतकर (सामाईक क्षेत्र)	248	0.11	0.0179
2	पिंडकेपार	रमेश भिवा दहीकर, शांताबाई रामश्वरम रहमतकर (सामाईक क्षेत्र)	247	0.12	0.0217
3	पिंडकेपार	अमित जितेन्द्र गणवीर, किरण सुनिल गणवीर, कयवल्या जितेन्द्र गणवीर, चंद्रशेखर जितेन्द्र गणवीर, नितीन जितेन्द्र गणवीर	246	0.09	0.0191
4	पिंडकेपार	सुधाबाई दिवाकरराव लोखंडे, चंद्रकलाबाई सुखदेवराव लोखंडे, ओमप्रकाश हरी खानोरकर, जया ओंकार खानोरकर।	216 217 218	1.07	0.1303
5	पिंडकेपार	गुलाब आडकु गौतम, येमलता सेवकराम अंबुले, ताराबाई सुकदेव हरीणखेडे, खेनलबाई आडकु गौतम, फुलवंता हरीचंद गौतम, डिलेश्वरी टेकेश्वर टेंभरे, भाग्यश्री रोशनलाल कटरे।	215	0.30	0.0177

6	पिंडकेपार	केवनबाई रुषी गाते, गंगुबाई सोनु गावळ, गुंजनबाई मदन कोटवार , चैतराम फोला गाते, जगदिश रुषी गाते, जैपाल फोला गाते, दसरी दागो गाते, दामोदर दुलीचंद कुरसुंगे, मिराबाई रुषी गाते, रेखाबाई रुषी गाते, लुंगनबाई देवराम चुळपार, सायत्री होला गाते, सुमत्री भदु गाते, हेमलताबाई हिवराज किरसान	214	0.22	0.0427
				Total	0.2494

कुल योग : 0.2494 हेक्टेयर

[फा. सं. डीसीई/सी/III/जी/जी-बीपीक्यू(सीएएफ)/20ङ /2]
मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 5th May, 2026

Notice under Section 20E of the Railway Act, 1989

S.O. 2246(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (South East Central Railway), No. S.O. 766(E), dated 12rd February, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 12th February, 2026, and issued under Sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely "Gondia – Balharshah (Chanda Fort) Doubling (240 Km.)" of South East Central Railway in Gondia Taluka of Gondia District, Maharashtra State.

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, Hindi Sandhya Dainik Bhavani Times, dated 17 March 2026 and Sandhya Dainik Bhandara Darshan, dated 17 March 2026 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, objections were received; Competent Authority has heard the objections and orders have been passed in terms of section 20D of the said Act, And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Copetent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in the pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of the notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land, to be acquired, with or without structures for the Special Railway Project namely "Gondia – Balharshah (Chanda Fort) Doubling (240 Km.)" in Gondia Taluka of Gondia District, Maharashtra State under South East Central Railway.

Name of District - Gondia Taluka - Gondia State – Maharashtra

Sr. No.	Name of Village	Name of land holder	Survey No.	Total Area as per 7/12 (in Ha.)	Acquisition Area (in Ha.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pindkepar	Ramesh Bhiva Dahikar, Shantabai Rameshwaram Rahmatkar (Saamayik area)	248	0.11	0.0179
2	Pindkepar	Ramesh Bhiva Dahikar, Shantabai Rameshwaram Rahmatkar (Saamayik area)	247	0.12	0.0217
3	Pindkepar	Amit Jitendra Ganveer, Kiran Sunil Ganveer, kyvalya Jitendra Ganveer, Chandrashekhar Jitendra Ganveer, Niteen jitendra Ganveer	246	0.09	0.0191
4	Pindkepar	Sudhabai Diwakarrao Lokhande, Chandrakalabai Sukhdevrao Lokhande, Omprakash Hari Khanorkar, Jaya Omkar Khanorkar.	216 217 218	1.07	0.1303
5	Pindkepar	Gulab Adku Gautam, Yemlata Sevakram Ambule, Tarabai Sukdev Harinkhede, Khenalbai Adku Gautam, Fulwanta Harichand Gautam, Dileshwari Tekeshwar Tembhere, Bhagyashree Roshanlal Katre.	215	0.30	0.0177
6	Pindkepar	Kevanbai Rushi Gate, Gangubai Sonu Gawal, Gunjanbai Madan Kotware, Chaitram Fola Gate, Jagdish Rushi Gate, Jaipal Fola Gate, Dasri Dago Gate, Damodar Dulichand Kursunge, Mirabai Rushi Gate, Rekhabai Rushi Gate, Lunganbai Devram Chulpar, Saytri Hola Gate, Sumtri Bhadu Gate, Hemlatabai Hivraj Kirsan	214	0.22	0.0427
				Total	**0.2494**

Grand Total : 0.2494 Hac.

[F. No. DCE/C/III/G/G-BPQ(CAF)/20E/2]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Admin Officer(Cont,)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.